RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-11
November-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i11.024

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान के प्रयासो का अध्ययन

Sadhana Kumari

Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 14 November 2020

Keywords
प्राथमिक शिक्षा प्रणाली,सर्वशिक्षा अभियान,स्कूल प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के विकास.

ABSTRACT

सर्वशिक्षा अभियान, असम मौजूदा प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और पर्यावरण के उत्थान के लिए प्रयासरत था और उसने राज्य के सभी प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिये बस्तियों में भी नए स्कूल स्थापित किये गये। इसने प्राथमिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा के तहत, इसने सभी बच्चों के लिए शिक्षा की गारंटी दी वे विस्थापित बच्चे, वंचित बच्चे, श्रमिक बच्चे, विकलांग बच्चे, लड़कियां, पिछड़े या अल्पसंख्यक बच्चे थे। कार्यक्रम के तहत शिक्षण–शिक्षण सामग्री, खेल–सामग्री, पोषक तत्व (मध्याह्न भोजन), वर्दी और वार्षिक वित्तीय सहायता आदि प्रदान की गई। प्राथमिक विद्यालयों के गुणवत्ता विकास के लिए भी, शिक्षकों के शिक्षण कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने का प्रयास किया। इसलिए, वर्तमान समय में, राज्य में एसएसए कार्यक्रम के मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसने कितनी प्रगति हासिल की है और सभी बच्चों द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या अन्य समस्याएं हल की जानी हैं। इस तरह के निष्कर्षों के साथ, यह राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास में सहायक होगा।इस अध्ययन का उद्देश्य सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम है जो स्कूल प्रणाली को देश के स्वामित्व द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का एक प्रयास है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिक्रिया है। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम भी एक मिशन मोड में समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्ता को शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों के लिए मानव क्षमताओं में सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

प्रस्तावना

शिक्षा हमारे समाज का एक गतिशील पहलू है। शिक्षा समाज पर औरसमाज शिक्षा पर अपना–अपना प्रभाव डालते है। शिक्षा के द्वारा ही समाजअपनी पीढ़ी के उच्च आदर्शों, अभीष्ट आशाओं, सनातन मूल्यों, सतत विश्वासोंएवं प्राचीन परम्पराओं से युक्त अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हस्तान्तरित करताहै। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम माना गया है और इसीधारणा को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसकीउपादेयता पर जोर दिया जाता है।

शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का आधार होती है। राज्य की अमूल्य निधि वहाँ के सुयोग्य नागरिक होते है। किसी भी राष्ट्र का विकास, उन्नति एवं समृद्धि तभी होता है, जब वहां के नागरिक सुशिक्षित हो। वास्तव में शिक्षा एक ओर जहाँ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहयोग देती है तथा सर्वांगीण विकास करके व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, वही दूसरी ओर वह उसे समाज का एक महत्त्वपूर्ण एवं उत्तरदायी सदस्य तथा राष्ट्र का एक सुयोग्य, कर्त्तव्यनिष्ठ व सजग नागरिक बनाती है,

भारत में सर्व प्रथम बेन्टिस्ट मिशनरी के विलियम एडम ने सन् 1838 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव पास किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक कानून बनाकर भारत के प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालय कायम किया जाना अनिवार्य कर दिया जाय। सन् 1852 में बम्बई प्रान्त में कैप्टेन विनगेट ने भूमि राजस्व पर 5 प्रतिशत कर लगाकर कृषकों के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिए जाने का प्रस्ताव किया। इसी तरह 1858 में गुजरात के शिक्षा निरीक्षक टी0पी0 होप ने भी एक कानून बनाकर स्थानीय निवासियों कोस्थानीय कर लगाकर अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करने का अधिकार देने की बात कही। परन्तु ये सब प्रस्ताव लागू नहीं हो सके। भारत में विदेशी शासन के कारण यह कार्य काफी समय तक नहीं हो पाया। प्रारम्भ में विदेशी मिशनरियों ने आधुनिक भारतीय शिक्षा की ओर कदम उठाया, लेकिन इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था। अतः उन्होंने शिक्षा के प्रचार का बहाना लेकर इस ओर कार्य करना चाहा और अनेक विद्यालयों की स्थापना की। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा प्रथम प्रयास 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार किया गया। एक लाख रूपये की धनराशि जो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए निर्धारित की गयी थी, पूर्वी–पश्चिमी भाषा विवाद के उठ जाने के कारण व्यय न की जा सकी। सन् 1835 ई0 में लार्ड मैकाले के विवरण–पत्र के अनुसार बैंटिंक ने शिक्षा सम्बन्धी अपनी नीति स्पष्ट की और पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया और पूर्वी शिक्षा को अवहेलना की दृष्टि से देखा गया, जिसका परिणाम

RRIJM 2015, All Rights Reserved

प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बहुत ही बुरा पड़ा। सन् 1854 में वुड घोषणा–पत्र के अनुसार भारत के सभी प्रान्तों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और प्राथमिक शिक्षा का भार उन्हें सौंप दिया गया। 1859 में स्टैनले घोषणा–पत्र की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की चेष्टा की। हंटर आयोग (भारतीय शिक्षा आयोग 1882) ने प्राथमिक शिक्षा की मंद प्रगति होने के कारण इस दिशा में सबसे अधिक रूचि लिया। परिणामतः प्राथमिक शिक्षा की भारतीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें उनकी प्रमुख संस्तुतियाँ प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से सम्बन्धित थी।

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का प्रथम चरण प्राथमिक शिक्षा है। जीवन में इसका महत्त्व उसी तरह से है, जैसे–दृढ एवं स्थायी भवन के निर्माण में उसकी आधारशिला का है। प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण शिक्षा का आधार स्तम्भ कहाँ जाना उचित है, क्योंकि इसी नींव पर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब बालक पाँच वर्ष की अवस्था पूर्ण करता है अथवा इससे अधिक का होता हैतब उसे प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय में दाखिल कराया जाता है। विश्व केविभिन्न देशों में आवश्यकता और सुविधा के अनुसार इसकी अवधि अलग–अलगहै। भारतवर्ष में इस शिक्षा के अन्तर्गत 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चें आते है। 6 से11 आयुवर्ग के लिए प्राथमिक स्कूल होते है, जबकि 11 से 14 आयुवर्ग के लिएउच्च प्राथमिक स्कूल होते है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालक–बालिका किसीशैक्षिक संस्था में नियमित ढंग से औपचारिक विद्याध्ययन करना प्रारंभ कर देतेहै। अतः कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा और कक्षा 6 से 8 तक कीशिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है।

भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है। जहाँ शिक्षा किसी धर्म, वर्ग,जाति की न होकर सर्वजन के लिए है। किसी राष्ट्र का महत्त्वपूर्ण कार्य अपनेप्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका अपेक्षितक्षमतानुसार शैक्षिक विकास करना है। इसी संदर्भ में भारत ने अपने संविधान मेंएक अनु0 45 रखा है। जिसके अनुसार 14 वर्ष तक के समस्त बालक एवंबालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। समानअवसर के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति ही जनतंत्र को समझ सकताहै। उसका उपयोग जीवन में कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति में अभिव्यक्ति कीशक्ति विकसित करने के साथ–साथ, विकास और सामाजिक परिवर्तन कीप्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करउसे सचेत उपभोक्ता और व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता और अधिकारसम्पन्नता की भावना विकसित करती है। वह सामाजिक सरोकार, पारस्परिकसद्भाव, कर्त्तव्यनिष्ठता और सहनशीलता जैसे गुण प्राप्त कर जीवन मूल्य और 3शालीनता अपनाने में सफल होता है। यही कारण है कि भारतवर्ष में भी प्रत्येकनागरिक को साक्षर एवं शिक्षित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी 1950 कोभारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोकतांत्रिकशासन व्यवस्था में शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया तथा शिक्षा सम्बन्धीउत्तरदायित्वों को केन्द्र तथा राज्य के मध्य विभाजित कर दिया। जिससे केन्द्र वराज्य अपने–अपने स्तर पर शिक्षा का नियोजन करके शैक्षिक विकास कोसुनिश्चित कर सके। स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में शिक्षा विकास के नए युगका सूत्रपात हुआ, लेकिन शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन करने तथा शिक्षा केअवसरों का विस्तार करने की भी समस्या थी। सभी बच्चों को निःशुल्क तथाअनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, अनपढ़ प्रौढ़ो को साक्षर नाने,माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में सुधार करने व तकनीकी शिक्षा का तेजी से विस्तारकरने, लड़कियों, दलितों व अल्पसंख्यकों का शैक्षिक विकास सुनिश्चित करनेतथा मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा व राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनेजैसी चुनौतियां स्वतंत्र भारत के कर्णधारों के समक्ष थी।शिक्षा में सुधार हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर समितियों और आयोगों कागठन हुआ वर्ष 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 1991 में संशोधितकर शिक्षा के प्रचार–प्रसार में तेजी लाने के प्रयास किए गये। पुनः 1986 मेंघोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1992 में समीक्षा की गयी और 14 वर्ष तक कीआयु के बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष 1988 मेंराष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के साथ 8 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीयसाक्षरता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साक्षरता में और तेजीलाने के लिए 2001में प्रारम्भ 'सर्वशिक्षा अभियान' के तहत वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को कार्यरूप देने हेतु संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया। यह अभियान भारत में आजादी के बाद का सबसे बड़ा शैक्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों को प्रवेश देना बल्कि प्रवेश के बाद उन बच्चों को विद्यालय में आठ वर्षों तक अनिवार्य रूप से बनाएं रखना भी है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की देनहै। प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए यहआवश्यक है कि सभी नागरिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। सभी नागरिकों कोअनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का नारा सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य मेंपश्चिमी देशों में दिया गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझते हुएस्वीडन ने सबसे पहले सन् 1842 में अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कीव्यवस्था की। इसके उपरान्त सन् 1852 में अमेरिका, सन् 1860 में नार्वे, सन्1870 में इग्लैण्ड तथा सन् 1905 में हंगरी, पुर्तगाल और स्विटजरलैंड जैसे देशोंने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सर्वशिक्षा अभियान

भारतीय संविधान का अनु0 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए करता है। संतोषजनक और गुणवत्तायुक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तथा 1992 के संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गयी। सन् 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने 'के0पी0 उन्नीकृष्णन' वाद में यह निर्णय दिया कि ''देश के सभी बच्चों को जब तक कि वह 14 वर्ष के उम्र को नहीं प्राप्त कर लेते, को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।'' सर्वशिक्षा अभियान का मूल भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधानों में ही निहित था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसके मील के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है। 1988 के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्ताव लाया गया कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने भी यह प्रस्तावित किया कि सार्वभैमिक प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए सम्पूर्ण देश में एक अभियान चलाया जाय। इस सम्मेलन ने 1999 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विभिन्न राज्यों के आठ शिक्षा मंत्रियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर सर्वशिक्षा अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस कमेटी ने यह विचार रखा कि इस योजना के प्रसार के लिए सम्पूर्ण पहुँच की दृष्टि होनी चाहिए और इस योजना में जिलों को इकाई के रूप में लिया गया। सम्मेलन ने यह भी प्रस्तावित किया कि इस योजना में केन्द्र, राज्य औरस्थानीय सरकारों की साझेदारी सक्रिय होनी चाहिए। जिससे कि सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान का कार्यान्वयनभारत के मुख्य कार्यक्रम के रूप में 2000–2001 में किया गया। यह जिलाआधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से एक निश्चितसमयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की योजना है। इसे प्रभावीरूप से विकेन्द्रीकृत करने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालयप्रबंध समिति, अभिभावक तथा अध्यापक संगठनों को शामिल किया गया है।इसी क्रम में 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा अनु0 21(क) कोजोड़कर 6–14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिकअधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्यबना दिया गया। सर्वशिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता सेचलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वैसे गांवों में जहाँ अभी स्कूलीुविधा नहीं है, वहाँ नए स्कूल खोलना, विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष,शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसेसशक्त बनाए जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँशिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है, वहाँ अतिरिक्त शिक्षको की व्यवस्था की जाएगीजबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण–प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखण्ड,जिलास्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा जीवन–कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इसके माध्यम से बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों कीशिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसी बस्तियों में स्कूल खोलना है।जहाँ एक किलोमीटर के दायरे में एक भी स्कूल नहीं है। इन स्कूलों में ऐसेबच्चों को शिक्षा दी जाती है जो स्कूल नहीं जाते है या फिर गरीबी के कारणजिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2007 तकसभी बालक–बालिका को शिक्षा उपलब्ध कराना था और वर्ष 2010 तकसामाजिक भेदभाव दूर कर सभी को प्राथमिक स्तर की शिक्षा से जोड़ना। बेहतरशिक्षा के अलावा कम्प्यूटर युक्त अध्ययन (शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिएउच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा और बच्चों के स्वतन्त्रप्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है) तथा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहितकरना निहित है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए कई महत्वांकाक्षीयोजनाएं शामिल की गई हैं। आठवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए मुफ्तपाठ्यपुस्तकें और अधिक उम्र की बालिकाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्थाहै। इनके अध्यापन के लिए 50ः महिला शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान रखागया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक योजनाकस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना है। सन् 2004 में इस योजना कीशुरूआत की गई थी। जिसका उद्देश्य लड़कियों के उच्चतर प्राथमिक स्तर परशिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गतकस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का वित्तपोषण 1 अप्रैल 2007 से एक घटकके रूप में किया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान में समुदाय आधारित कार्यान्वयन और स्कूलों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है। समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्कूल कार्यकलापों की निगरानी और बड़ी संख्या में कार्यकलापों का निष्पादन ग्राम पंचायत, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबन्ध समितियों अथवा इसके समकक्ष संस्थाओं द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय अधिकार का अनुपात नौंवी पंचवर्षीय योजना में 85:15, दसवीं योजना में 75:25 तथा इसके बाद 50:50 का है।

प्राथमिक शिक्षा का कुल बजट(संख्या करोड़ में)

सारणी संख्या 1

वर्ष	सर्व शिक्षा अभियान	मिड–डे–मील	अन्य	योग
2010–11	19000	9440	571	29011
2011–12	21000	10380	647	32054
2012–13	23645	11500	588	35733
2013–14	26608	12189	825	39622
2014–15	24380	11051	1471	36902
2015–16	22000	9236	1681	32917

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा फण्ड का आवंटन(प्रतिशत में)

सारणी संख्या 2

वर्ष	शिक्षक	विद्यालय	विद्यार्थी	गुणवत्ता	प्रबन्धन	स्कूल अनुदान	विविध
2011–12	41	35	11	2	7	3	1
2012–13	43	34	12	2	6	3	1
2013–14	61	13	15	1	7	3	1
2014–15	59	18	12	0	7	3	1

सारणी से स्पष्ट है कि 2010–11 से लेकर 2014–15 तक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित क ुल बजट में लगातार वृद्धि हुई है। सन 2014–15 से प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित कुल बजट में कमी हो रही है।सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवंटित फण्ड में सबसे अधिक आवंटन शिक्षक पर, उसके बाद विद्यालय, फिर विद्यार्थी तथा उसके पश्चात प्रबन्धन पर किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गये प्रयास

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स ुधार और गुणवत्ता लाने के लिए समय पर अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रम निम्नलिखित है–

(1) शिक्षा कर्मी परियोजना।
(2) महिला सामाख्या कार्यक्रम।
(3) बिहार शिक्षा योजना।
(4) लोक जुम्बिस कार्यक्रम।
(5) आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा योजना।
(6) बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश।
(7) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
(8) आनन्ददायी अधिगम।
(9) अनौपचारिक शिक्षा का मध्य प्रदेश मॉडल।
(10) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना।
(11) सर्वशिक्षा अभियान
(12) शिक्षा का मौलिक अधिकार।
(13) मध्याह्न भोजन योजना।
(14) प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
(15) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य

- 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक उपयोगी तथा सार्थक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। (कक्षा 1 से 8 तक)
- समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लैगिंक असमानता को समाप्त करना।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

सर्वशिक्षा अभियान के विशिष्ट उद्देश्य निम्न है–

1. 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का प्रवेश सन् 2003 तक तथा 11 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का प्रवेश 2007 तक पूरा करना।
2. सन् 2007 तक सभी बच्चें कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले।
3. सन् 2010 तक सभी बच्चें कक्षा 8 की उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

4. सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा सन् 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक एवं लैगिंक असमानता को समाप्त करना।
5. प्रारंभिक स्तर पर सभी बच्चों को जीवनोपयोगी और समाजोपयोगी समुचित गुणात्मक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
6. वर्ष 2010 की समाप्ति तक सभी बच्चों को उपयोगी एवं समुचित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना।
7. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करने तक प्रत्येक दशा में सभी बच्चों को विद्यालय में अध्यनरत रखना। अर्थात् सन् 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव सुनिश्चित करना।

उपसंहार

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल प्रणाली के देश के स्वामित्व द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का एक प्रयास है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग का जवाब है। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम एक मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।मानव जीवन जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसके दो पहलू हैं जैविक और समाजशास्त्रीय या सांस्कृतिक। जबकि पूर्व को बनाए रखा जाता है और भोजन और प्रजनन द्वारा प्रसारित किया जाता है, बाद को शिक्षा द्वारा संरक्षित और प्रसारित किया जाता है। जैविक पहलू पौधे और पशु जीवन में भी पाया जाता है। लेकिन समाजशास्त्रीय या सांस्कृतिक पहलू मानव जीवन का आधार एवं दुर्लभ अंतर है। जॉन डेवी कहते हैं कि पोषण और प्रजनन शारीरिक जीवन के लिए हैं, औरशिक्षा सामाजिक जीवन के लिए है। शिक्षा के माध्यम से, मनुष्य नए विचारों और जीवन के नए तरीकों की तलाश करने की कोशिश करता है। शिक्षा के माध्यम से वह अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है और अपने ज्ञान का विस्तार है जिससे वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनेअच्छे या बुरे भविष्यके लिए दुनिया को स्थानांतरित कर सकता है। जटिल दुनिया में उनका जीवन न केवल जैविक प्रक्रिया से, बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया से भी नियंत्रित होता है। शिक्षा उसकी सामाजिक आनुवंशिकता है। अकेले जैविक आनुवंशिकता के साथ, वह एक जानवर से बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके पास सामाजिक आनुवंशिकता है जो उसे एक आदमी बनाती है जो अब इस दुनिया पर शासन करने में सक्षम है। शिक्षा के बिना मानव जाति पशु जाति से बेहतर नहीं होगी। खाना–पीना, सोना और सेक्स लाइफ जानवरों और आदमी दोनों के लिए आम है। यह केवल ज्ञान और शिक्षा है जहां वे भिन्न हैं। यह दुनिया बौद्धिक अंधकार में घिरी होती, अगर इसे शिक्षा की रोशनी से रोशन नहीं किया गया होता। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित करती है और दुनिया भर में उसकी जरूरतोंकी पूर्ति में उसकी मदद करती है। इस प्रकार, सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक मानदंडों को शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए, शिक्षा को इस बदलती दुनिया में इंसान की बुनियादी जरूरत माना जाता है। अरस्तू ने कहा, अशिक्षित मनुष्य जितना जीवित होता है, उतना ही मृत होता है। पेस्टलोजी ने शिक्षा को मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास के रूप में परिभाषित किया।एक पूर्ण मनुष्य होने के लिए, प्रत्येक मनुष्य को अपनी जन्मजात शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह केवल शिक्षा है, जिसके माध्यम से उसे पूरा किया जा सकता है। मनुष्य का विकास किसी राष्ट्र के विकास से संबंधित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. नायक जे0पी0 तथा नुरूल्ला (2015)– भारतीय शिक्षा का इतिहास, मैकमिलन, नई दिल्ली।
[2]. नेपा आन्ध्र प्रदेश (2012)–शिक्षा के सार्वजनीकरण के तहत प्राथमिक शिक्षा प्रकाशन का अध्ययन।
[3]. नायक एस0पी0 (2015)– इक्वैलिटी, क्वान्टिटी एण्ड क्वालिटी इन एलुसिव ट्रैंगल इन इण्डियन एजुकेशन।
[4]. पाण्डेय पी0के0 व शर्मा आर0सी0 (2012)– पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन का अध्ययन– बुच एम0बी0 सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन नई दिल्ली।
[5]. पाण्डेय आर0एस0 (2015)– एजुकेशन एस्टरडे एण्ड टूडे; एक विश्लेषण, हॉरिजन पब्लिशर्स, इलाहाबाद।
[6]. आचार्य ए0ए0 (2014)– बारंगल जिले में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन शोध।
[7]. मोटगे एस0वी0 (2014)– मराठवाड़ा क्षेत्र पर एक अध्ययन शोध।
[8]. विश्वनाथ ए0 (2015)– विद्यालयों के बीच विद्यालय प्रशासन में आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों पर फोकस का विश्लेषण, शोध।
[9]. मल्होत्रा पी0एल0 (2016)– भारत में विद्यालयी शिक्षा वर्तमान और भावी आवश्यकताएँ, रा0 शै0 अ0 परिषद, नई दिल्ली।
[10].डा0 सिंह जी0बी0 (2011) भारत में शिक्षा का अधिकार एवं प्रारंभिक शिक्षा, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (प्रथम संस्करण)
[11].अग्रवाल जे0सी0 (2013) भारत में प्रारंभिक शिक्षा, विद्या बिहार, नई दिल्ली।
[12].डा0 सारस्वत मालती, सिन्हा नीता एण्ड मदन मोहन (2013)– शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ, न्यू कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

[13].स्टेट रिपोर्ट काड्र्स (2015–16) – एलीमेन्ट्री एजुकेशन इन इण्डिया; लेहर डू वी स्टैण्ड? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्डएडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रकाशन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
[14].रामचन्द्रन विमला (2013) – गेटिंग चिल्ड्रेन बैक टू स्कूल, सेज पब्लिकेशन, कैलिफोर्निया।
[15].पॉल क्लॉर्क (2015)– इम्प्रूविंग स्कूल्स इन डिफिकल्टी, फॉन्टीनम इण्टरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप।
[16].गोविन्दा आर0 (2012)– इण्डिया एजुकेशन रिपोर्ट : ए प्रोफाइल ऑफ बेसिक एजुकेशन, आक्र्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
[17].वैद्यनाथन ए0, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज चेन्नई, पी0आर0 गोपीनाथन नायर, सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज, तिरूवन्तपुरम् (2011)– इलीमेन्ट्री एजुकेशन इन रूरल इण्डिया, सेज पब्लिकेशन, कैलिफोर्निया।
[18].सेवेन्थ आल इण्डिया स्कूल एजुकेशन सर्वे (2016) नेशनल काउन्सिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आ ॅफ एजुकेशनल सर्वे एण्ड डेटा प्रोसेसिंग (2016)
[19].अकीला आर0 (2014)– रीचिंग ग्लोबल गोल्स इन प्राइमरी एजुकेशन : सम जेण्डर कनसर्न फॉर तमिलनाडु (19 जून 2014)।
[20].सर्वशिक्षा अभियान : फ्रेमवर्क फॉर इम्पीमेन्टेशन एम0एच0आर0डी0 गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (2015)

RRIJM 2015, All Rights Reserved